

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] No. 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935

### भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2013

## (चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं. 1-सीए (7)/146/2013.—संस्थान की परिषद् ने भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 25 फरवरी, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/140/2011 एवं 1-सीए (7)/141/2011 में आंशिक संशोधन करते हुए वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं प्रैक्टिस शुल्क प्रमाण-पत्र के भुगतान के प्रयोजन के लिए वरिष्ठ नागरिक के रूप में सदस्य की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, उक्त दोनों अधिसूचनाओं के परन्तुक में आये ''65 वर्ष'' के शब्द और अंकों को ''60 वर्ष'' के शब्द और अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./104/12]

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2013

### (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA (7)/146/2013.—In partial modification of Notifications No. 1-CA (7)/140/2011 and 1-CA(7)/141/2011 both dated 25th February, 2011 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary dated 25th February, 2011, the Council of the Institute has decided to reduce the age from 65 years to 60 years for treating a member as Senior Citizen for the purpose of payment of annual membership fee and certificate of practice fee. Accordingly, for the words and figure "age of 65 years" appearing in the proviso of both the aforesaid Notifications, the words and figure "age of 60 years" have been substituted.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. - III/4/Exty./104/12]